

प्रेषक,

कृष्ण प्रताप सिंह,
अपर सिविल जज(सि० डि०)
गोण्डा ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा

माननीय जनपद न्यायाधीश,
गोण्डा ।

विषय:- प्रार्थी के नाम के आगे "डाक्टर" लिखने की अनुमति प्रदान
किये किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी को दीनदयाल उपाध्याय
गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा दिनांक 19.10.2018 को शोध
टापिक " Protection of Traditional Knowledge and Geographical
Indications in India : An Analysis in Legal Perspective." पर
डाक्टर आफ फिलासफी (पीएच०डी०) की उपाधि प्रदान की गयी है।
उपरोक्त के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, को प्रेषित पत्र
दिनांक 27.07.2020 के अनुक्रम में Govt. office memorandum
NO.439/II-4-2021-26/2(5)/2011 SL. NO.04 dated
06.07.2021 द्वारा डाक्टर आफ फिलासफी (पीएच०डी०) की उपाधि
को प्रार्थी के सर्विस रिकार्ड में जोड़ने की अनुमति प्रदान की गयी है, परन्तु
प्रार्थी के नाम के आगे "डाक्टर" लिखने की अनुमति प्रदान किया जाना अभी
शेष है।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में माननीय महोदय से सादर अनुरोध
है कि प्रार्थी के नाम के आगे "डाक्टर" लिखने की अनुमति प्रदान करने की
कृपा करें।

प्रार्थी माननीय महोदय का आभारी रहेगा।

सादर।

दिनांक - 16/01/2023

भवदीय,

(कृष्ण प्रताप सिंह)

अपर सिविल जज(सि० डि०),
गोण्डा ।

आई०डी०न० UP2292

सलगन्न-यथोक्त